सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**सिटिंग नोटिस**

**फा. सं. NCST/DEV-7076/MP/931/2026-RO-BH/RU-I** **दिनांक: 09.07.2026**

**कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,**
जिला-छिंदवाड़ा,
कलेक्टर कार्यालय,
छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश-480001,
ई-मेल: dmchhindwara@nic.in
संपर्क सूत्र: 0716-2242302

**विषय: दैनिक समाचार पत्र जबलपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर "सेटिंग ऐसी कि सिर्फ 15 दिन में कन्वर्ट हो गई थी आदिवासी की जमीन" के संबंध मे।**

**संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.03.2026 (प्रति संलग्न).**

**महोदय/महोदया,**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 22.07.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें।

**3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।**

पूर्णेन्दु कान्त

**(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)**
**निदेशक/Director**

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in